न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा (नागौर) राज.
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरि सिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

प्रार्थी :–
राज. सरकार जरिये
तहसीलदार नांवा

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. घूडाराम, पुत्र भूराराम
2. हडमान, पुर्णमल, दौला पि. नारायण
   कौम जाट सा. टोडास तह. नांवा
3. नानूराम, चुनाराम पि. कानाराम
   कौम जाट सा. टोडास तह. नांवा
4. लालूराम पुत्र गणेशराम रेगर सा. खोरण्डी
5. सुरजाराम, रामेश्वरलाल, छिगनाराम, छोटूराम पुत्र
   लालूराम जाति रेगर सा. खोरण्डी
6. लालूराम, जोधाराम शिवकरण, हीरालाल पि. पदामाराम
   रेगर सा. खोरण्डी तह. नांवा
7. मनभरी पत्नी जोधाराम, शारदादेवी पत्नी शिवकरण,
   कानीदेवी पत्नी हीरालाल रेगर सा. खोरण्डी

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
उपस्थित :– राजपैरोकार

श्री बजरंगलाल वकील प्रतिवादी संख्या 5

मुकदमां नम्बर :– 53/2010

निर्णय दिनांक :– 9-1-18

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम लालास की जमाबन्दी सम्वत 2042–2045 के खाता संख्या 1 राजकीय भूमियों का खाताअनुसार गत खसरा नम्बर 75 रकबा 2–13 बीघा गै.मु. मार्ग दर्ज था उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज रिकार्ड थी तथा मौके पर रास्ता था हालिया भू प्रबन्ध सम्वत 2046–2065 के दौरान प्रबन्ध विभाग के कार्मिकों द्वारा विधि के विपरित उक्त रास्ते को न तो नक्शे में दर्शित किया न ही रिकार्ड में तथा 2–13 बीघा भूमि को खातेदारी भूमि में सामविष्ट कर दिया जिसमें राज्य हितों की पूर्णतया अनदेखी की गई जबकि उक्त रास्ता आज दिवस भी मौके पर बदस्तूर चाली हैं राजपैरोकार ने पूर्व की भाति अप्रार्थीगण की खातेदारी में से कम कर प्रथक से बंटा नम्बर अनुसार राजस्थान सरकार की सिवाय चक भूमि में गै. मु. रास्ते के रूप में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किऐ जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। जिसमें अप्रार्थी 5 की ओर से वकील श्री बजरंग लाल ने दिनांक 26.08.2010 को वकालतनामा पेश किया शेष अप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी 5 द्वारा पिछले 7 वर्षो में भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया जाकर बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की तायद में जमाबन्दी सम्वत 2034–2037 पेश की हैं जिसमें ग्राम लालास के खसरा नम्बर 75 रकबा 2–13 बीघा भूमि राजकिया भूमि खाता संख्या 1 किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड हैं खसरा मिलान के अनुसार गत खसरा नम्बर 75 रकबा 2.13 बीघा भूमि के नये खसरा नम्बर 383 रकबा 0.07 हैक्टयर, 392 रकबा 0.18 हैक्टयर, तथा 393 रकबा 0.10 हैक्टयर एवं 757/393 रकबा 0.07 हैक्टयर कायम किऐ गये हैं गत खसरा नम्बर 75 के उक्त बंटा नम्बर नये खसरा नम्बर कायम करते हुऐ भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड की गई हैं जबकि उक्त भूमि राजकीय सिवायचक किस्म गै.मु. रास्ता थी तथा उक्त भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में काम आ रही थी आज भी उक्त भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में ही हो रहा हैं रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट रूप से साबित होता हैं कि केवल मात्र भू–प्रबन्ध विभाग की गलती से राजकीय सिवायचक भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी में शामिल किया गया हैं नक्शा ट्रेस में भी पूर्व में खसरा नम्बर 75 रास्ते के रूप में दर्ज था वर्तमान नक्शा ट्रसे से रास्ते को हटा दिया गया हैं। जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। प्रस्तुत रिकार्ड से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लालास के खसरा नम्बर 383 में से 0.07 हैक्टयर कम कर 392 में से 0.18 हैक्टयर कम कर , 393 में से 0.10 हैक्टयर कम कर , 757/393 में से0.08 हैक्टयर भूमि कम कर कुल रकबा 0.424 हैक्टयर राजकीय भूमि खाता संख्या 1 में किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज की जाकर वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम करते हुऐ रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार नांवा को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 9.1.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि सिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा